संख्या-23/2018/सा-3-828/दस-2018-301(09)/एस0ए0बी0/2011

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या – सा-3-517/दस-2012-301(09)/एस0ए0बी0/2011 दिनांक 21-03-2012 में प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया दी गई है जिसमें कर्मचारियों के परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (PRAN) पंजीकरण की प्रक्रिया भी सम्मिलित है।

2- राज्य सरकार द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (NSDL) को सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) के रूप में अनुबंधित किया गया है। NSDL द्वारा अपने पोर्टल https://cra-nsdl.com पर ऑनलाईन PRAN पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

3- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि NPS के अंतर्गत कार्मिकों के PRAN पंजीकरण हेतु NSDL के पोर्टल https://cra-nsdl.com पर उपलब्ध ऑन लाईन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (OPGM) का प्रयोग किया जाये।

भवदीय
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 23/2018/सा-3-828(1)/दस-2018-301(09) /एस0ए0बी0/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक पेंशन, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ|
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. चीफ जनरल मैनेजर, पी0एफ0आर0डी0ए0, नई दिल्ली।
6. सहायक उपाध्यक्ष, एन0एस0डी0एल0, चतुर्थ तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोवर पैरल, मुम्बई-400013
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।